



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 92 / 2021 (सू.अ.)

पंजीयन दिनांक: 13.08.2021

G.C.M.S. NO. :- 2021/377

श्री भग्याराम पिता बीजाराम निवासी जावरा खुर्द, माल का कुआ, तहसील रावतभाटा
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 07.09.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.06.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 92/2021/(07.09)/855 दिनांक 13.08.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 07.09.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 07.09.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

(तारा चन्द मीणा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 92/2021 (सू.अ.) श्री भगाराम पिता बीजाराम निवासी जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/519 दिनांक 24.08.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री भगाराम पिता बीजाराम निवासी जावरा खुर्द, माल का कुआ, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2021 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना का पूर्ण विवरण नहीं होने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/04 दिनांक 05.07.2021 से लिखा गया है, परन्तु वांछित विवरण आदिनांक तक अप्राप्त है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत करा दिये जाने के उपरान्त अपेक्षित सूचना का स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

इमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/519 दिनांक 24.08.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/04 दिनांक 05.07.2021 से उसके



(कार्य चन्द मीणा)

लोक सूचना अपीलार्थी प्रतिकारक

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़ (रा.भ.)





प्रकरण संख्या 92/2021 (सू.अ.)
 श्री मंगाराम पिता बीजाराम निवासी जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।



23

(तारा चन्द मीणा)

लोक सूचना अधिकारी आई.एस.

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./92/2021(सू.अ.)/999
प्रतिलिपि:-

दिनांक:-19/09/2021

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री मंगाराम पिता बीजाराम निवासी जावरा खुर्द, माल का कुंआ, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

23

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलक्टर

चित्तौड़गढ़ (राज.)